130

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 1747-पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 15-4-2014 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर अपील प्रकरण क्रमांक आर.ई.सी./17/2013-14.

मेसर्स विंध्याचल डिस्टलरीज प्रा.लि.
द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर
269-270, जोन-2
महाराणा प्रताप नगर, भोपाल .....अपीलार्थी

विरूद्ध

उपायुक्त आबकारी
संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन .....प्रत्यर्थी

श्री डी.के. शुक्ला, अभिभाषक एवं
श्री प्रखर ढेंगुला, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/5/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-4-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी इकाई द्वारा जिला राजगढ़ से परमिट क्रमांक 110300 दिनांक 17-7-2009 से 3591.0 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा शासकीय विदेशी मदिरा भाण्डागार उज्जैन को भेजी गई थी, जिसमें अनुज्ञेय मार्ग हानि 8.98 प्रूफ लीटर से 153.59 प्रूफ लीटर अधिक मार्ग हानि हुई है । इसी प्रकार परमिट क्रमांक 110294 दिनांक 13-7-2009 से 3564 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा शासकीय विदेशी मदिरा भाण्डागार को भेजी गई थी, जिसमें अनुज्ञेय मार्ग हानि 8.91 प्रूफ लीटर से 37.67 प्रूफ लीटर अधिक मार्ग हानि हुई है । अत: उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता उज्जैन द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र किया गया और अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने

पर उपायुक्त आबकारी द्वारा दिनांक 12-6-2012 को आदेश पारित कर कुल मार्ग हानि 191.25 प्रूफ लीटर पर तत्समय देय शुल्क 600/- रूपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से रूपये 114750/- के तीन गुना रूपये 344250/- की शास्ति अधिरोपित की गई । उक्त आदेश के विरूद्ध आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक अपील पक्ररण क्रमांक आर.ई.सी. 17/2013-14 में दिनांक 15-4-2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायलाय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 11-1-2018 को अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अत: प्रत्यर्थी शासन द्वारा सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था, किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अत: प्रकरण का निराकरण अपील मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । अपील मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

I. That, the Order passed by the Ld. Excise Commissioner, Gwalior are passed without appreciating the relevant Rules and without appreciating the object of the said provisions and hence, the same is not sustainable and deserves to be set-aside.

II. That, the Ld. Excise Commissioner, Gwalior completely failed to appreciate the spirit and the intention of the Legislature which cast a duty on the Distiller to protect any transit loss beyond the permissible limits. But the aforesaid Legislation also cast a duty on the Adjudicating Authority to apply its maind while imposing the penalty for such transit loss. Whereas, in the present case, neither the Ld. Deputy Commissioner Excise nor the Ld. Commissioner Excise applied their mind and imposed the penalty to its maximum without any justification and hence, the order suffers from the aforesaid illegality and deserves to be set aside.

III. That, the Ld. Excise Commissioner, Gwalior, also failed to appreciate that the transit loss, so occurred, could not be attributable to the Appellant, as there was a reported theft during transit, for which, an FIR was also lodged and the same was also placed before the Ld. Deputy Commissioner Excise found the Appellant guilty of willful

default and as such, the order suffers from the aforesaid illegality perse and deserves to be set aside.

IV. That, the Ld. Excise Commissioner, Gwalior, also failed to appreciate that the Rule 19 of Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, clearly postulates that, if it is proved to the satisfaction of the Ld. Commissioner Excise or the Authorized Officer that, such excess deficiency of transit loss was due to some unavoidable circumstances, then he may waive the penalty imposed under the Sub Rule. But the aforesaid proviso was completely overlooked by the Ld. Excise Commissioner and infact there is no discissions in the Order as to why the pena;ty imposed is maximum and as such, the Order suffers from the aforesaid illegality and deserves to be set aside.

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किये गये विदेशी मदिरा के परिवहन में निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि होने के सम्बन्ध में उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र जारी उत्तर प्राप्त किया गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने पर उपायुक्त आबकारी द्वारा दिनांक 12-6-2012 को आदेश पारित कर म.प्र. विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16 के अनुसार अनुज्ञेय मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि पर नियम 19(2) के प्रावधानों के अनुरूप कुल मार्ग हानि 191.25 प्रूफ लीटर पर तत्समय देय शुल्क 600/- रूपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से रूपये 114750/- के तीन गुना रूपये 344250/- की शास्ति अधिरोपित की गई है । उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता के उक्त आदेश को विधिसंगत पाते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-4-2014 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर